CF-B 15/2

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म·प्र·राजस्व मण्डल ग्वालियर म·प्र·

R-494-I/2005 — जिला-शहडोल

श्रीमती मगनी बाई पुत्री भोदू बैगा, सा·बधवा खुर्द, तह·पाली, जिला उमरिया म·प्र· ---आवेदक

बनाम

1· श्रीमती लोटानी बाई पत्नी मंगल बैगा 2· महतो तनय मंगल बैगा 3· चिहडू तनय मंगल बैगा 4· गिहडू तनय मंगल बैगा	सभी निवासी गण ग्राम बधवा खुर्द, तह·पाली, जिला उमरिया म·प्र·
5· मोटी पुत्री मंगल बैगा	---- अनावेदक गण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा, दि·21·02·05 बावत प्र·क्र·81/अपील/97-98

अंतर्गत धारा 50 म·प्र·भू-रा·संहिता सन् 1959ई·

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:-

1· यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि के एवं प्रक्रिया के विपरीत है ।

2· यह कि विवादित भूमि क्र·141 पुराना नं·101/4 जिसका रकबा 0·65 ए· था, को आवेदक के पिता ने 45/-रु· में 1969 में खरीदकर खरीद दिनांक से अपना स्वत्व-स्वामित्व व आधिपत्य कायम किये हुये है व अनावेदक के मूरिस "बुद्धा" की सहमति से आवेदक के पिता के हक में दि·13·8·78 को नामांतरण करा दिया और नामांतरण के 25 साल बाद तक अनावेदक के पति व पिता मंगल की व तत्पश्चात अनावेदक के पति व पिता मंगल ने भी पहले कोई आपत्ति नहीं की , बाद में - नामांतरण दिनांक के 25 साल बाद एक बेरूम्याद अपील अप्रचलनीय व अधिकारविहीन रूप से अधिकार अभिलेख के विरुद्ध अपर कलेक्टर के यहां

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 494–एक/2005 जिला–शहडोल

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ार्को आदि के हस्ताक्षर
13 – 12–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आयुक्त रीवा संभागरीवा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 81/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसों को रिकॉर्ड में लेकर ही आदेश पारित किया है। अपर कलेक्टर के प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक भोंदू अपर कलेक्टर के प्रकरण में दिनांक 07.11.96 तक उपस्थित रहा, किन्तु अगली पेशी दिनांक 29.11.96 को सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसके बाद प्रकरण में दिनांक 15.01.97 को अंतिम आदेश पारित किया गया, तब तक वह न्यायालय में न तो उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही माफ करने हेतु कोई आवेदन–पत्र ही दिया गया। अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मूल न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई है। सौ रुपये से अधिक मूल्य की भूमि	

का नामांतरण अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया, जिसके आधार पर किसी प्रकार का स्वत्व अंतरण वैध नहीं है। मूल न्यायालय द्वारा अधिकार अभिलेख/परिवर्तन सूची में पारित प्रवृष्टि क्रमांक 23 में तिथि अंकित नहीं की गई । वर्ष स्पष्ट न करना शंकास्पद प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया, जिसमें पाया कि आयुक्त रीवा ने अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखते हुये आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है। जहॉ तक प्रकरण में आवेदिका के नामांतरण का प्रश्न है, आवेदिका ने ऐसा कोई भी ठोस आधार न तो इस न्यायालय में पेश किया है और न अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जिससे की यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि पर आवेदिका का कब्जा हो। इसी आधार पर अपर कलेक्टर, शहडोल एवं आयुक्त रीवा ने जो आदेश पारित किया है, मैं उससे सहमत हूँ।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में दो अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित न होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । फलतः आवेदक के द्वार प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0ऐस0अली)
सदस्य